उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-26/2016/970 /37-1-2016-2(14)/2015

लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

एतद्द्वारा श्री राज्यपाल, निम्नलिखित उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश प्रदान करते हैः-

क्र0	अधिकारी का नाम/ जनपद	नवीन तैनाती
1	2	3
1	डा0 संजीव कुमार, अधीक्षक, पालीक्लीनिक जनपद गोरखपुर	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य , मुरादाबाद
2	डा0 धीरेन्द्र सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, आगरा	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, मैनपुरी
3	डा0 मानव, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, भानपुर, बस्ती	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, सीतापुर
4	डा0 अनिल कुमार यादव, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य श्रावस्ती	उप निदेशक, डास्प, मुख्यालय
5	डा0 अशोक कुमार सिंह-5, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,सिराथू, कौशाम्बी	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, वाराणसी
6	डा0 अरविन्द मालवीय, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कैम्पियर गंज, गोरखपुर	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मड़िहान, मिर्जापुर
7	डा0 रवीन्द्र कुमार-2, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य देवरिया	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, नवाबगंज, बरेली
8	डा0 महावीर सिंह-3, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य, बदायूँ	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बिसौली, बदायूं
9	डा0 एजाज अहमद सज्जाद आलम, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, फूलपूर, आजमगढ़	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, राबयरेली
10	डा0 सुरेश कुमार पाण्डेय, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य जालौन	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सदर, गाजीपुर

2- सम्बन्धित अधिकारी आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव

<u>संख्या- 970 /37-1-2016-2(14)/2015तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक(प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित अपर निदेशक(ग्रेड-2) द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
4- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
6- सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा निदेशक(प्रशा0 एवं वि0), पशुपालन विभाग।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
दया शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।